

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

श्री रवि शंकर प्रसाद ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नोटिस दिया कीजिए ।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं नोटरी नियम, 1956 के नियम 4 के उपनियम(1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूँ –

का°आ° 1622 (अ) जो 22 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिक मामले विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया ।

का°आ° 2444 (अ) जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिक मामले विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया ।

[Placed in Library, See No. LT 509/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK):

Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 510/17/19]

2. Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 511/17/19]

3. Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 512/17/19]

4. Memorandum of Understanding between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 513/17/19]

5. Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 514/17/19]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- 1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 515/17/19]

- 2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 510(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 29 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 565(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 566(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन)

- (पाँच) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1036(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1037(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1042(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1041(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 16 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1123(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 16 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1124(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा

संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 26 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1137(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 26 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1138(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1221(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1222(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2019 जो दिनांक 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 13 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2019 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

3) उपर्युक्त (3) में मद संख्या (एक) से (पंद्रह) तक उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 516/17/19]

4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472 (अ) प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 517/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

S.O.920(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2015, notifying Foreign Trade Policy, 2015-2020.

S.O.1992(E) published in Gazette of India dated 3rd June, 2016, regarding amendment in import policy condition No. 2 under Exim code

4801 of Chapter 48 of ITC (HS), 2012-Schedule-1 (Import Policy).

S.O.172(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2017, notifying ITC (HS) 2017 Schedule-1 Import Policy.

S.O.2490(E) published in Gazette of India dated 5th August, 2017, regarding amendment in import policy of Pigeon Peas (*Cajanus Cajan*)/Toor Dal under Chapter of ITC (HS), 2017, Schedule-1 (Import Policy).

S.O.2722(E) published in Gazette of India dated 21st August, 2017, regarding amendment in import policy of Beans of species *Vigna mungo* (L.) Hepper or *Vigna radiate* (L.) Wilczek under Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule-1 (Import Policy).

S.O.1755(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2018, regarding amendment in import policy of Peas under Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule-1 (Import Policy).

S.O.1826(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2018, regarding amendment in import policy of Beans of the species *Vigna mungo* (L.) Hepper or *Vigna radiate* (L.) Wilczek under Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule-1 (Import Policy).

S.O.3224(E) published in Gazette of India dated 2nd July, 2018, regarding amendment in import policy of Peas under Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule-1 (Import Policy).

[Placed in Library, See No. LT 518/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC**

ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

A copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

FOURTEENTH LOK SABHA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Statement No. 33 | Third Session, 2004 |
| | [Placed in Library, See No. LT 519/17/19] |
| 2. Statement No. 34 | Fourth Session, 2005 |
| | [Placed in Library, See No. LT 520/17/19] |
| 3. Statement No. 30 | Fourteenth Session, 2008 |
| | [Placed in Library, See No. LT 521/17/19] |
| 4. Statement No. 25 | Fifteenth Session, 2009 |
| | [Placed in Library, See No. LT 522/17/19] |

FIFTEENTH LOK SABHA

- | | |
|---------------------|---|
| 2. Statement No. 35 | Second Session, 2009 |
| | [Placed in Library, See No. LT 523/17/19] |
| 3. Statement No. 30 | Fourth Session, 2010 |

- [Placed in Library, See No. LT 524/17/19]
4. Statement No. 30 Fifth Session, 2010
- [Placed in Library, See No. LT 525/17/19]
5. Statement No. 27 Seventh Session, 2011
- [Placed in Library, See No. LT 526/17/19]
6. Statement No. 30 Eighth Session, 2011
- [Placed in Library, See No. LT 527/17/19]
7. Statement No. 27 Ninth Session, 2011
- [Placed in Library, See No. LT 528/17/19]
8. Statement No. 24 Eleventh Session, 2012
- [Placed in Library, See No. LT 529/17/19]
9. Statement No. 23 Twelfth Session, 2012
- [Placed in Library, See No. LT 530/17/19]
10. Statement No.23 Thirteenth Session, 2013
- [Placed in Library, See No. LT 531/17/19]
11. Statement No. 19 Fourteenth Session, 2013
- [Placed in Library, See No. LT 532/17/19]
12. Statement No. 19 Fifteenth Session, 2013-14
- [Placed in Library, See No. LT 533/17/19]

23. Statement No. 7 Twelfth Session, 2017
[Placed in Library, See No. LT 544/17/19]
24. Statement No. 6 Thirteenth Session, 2017-18
[Placed in Library, See No. LT 545/17/19]
25. Statement No. 5 Fourteenth Session, 2018
[Placed in Library, See No. LT 546/17/19]
26. Statement No. 4 Fifteenth Session, 2018
[Placed in Library, See No. LT 547/17/19]
27. Statement No. 2 Sixteenth Session, 2018-19
[Placed in Library, See No. LT 548/17/19]
28. Statement No. 1 Seventeenth Session, 2019
[Placed in Library, See No. LT 549/17/19]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2017-2018.

- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 550/17/19]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ—

- (1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-20 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 551/17/19]

- (2) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच

वर्ष 2019-20 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 552/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH C. ANGADI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 553/17/19]

12.12hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामलों को 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। शेष को व्यपगत माना जाएगा।